

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति

प्रलिस के लयः

इथेनॉल सम्मशरण, जैव ईधन, कच्चा तेल, जैव ईधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

मेन्स के लयः

इथेनॉल सम्मशरण और इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018](#) में संशोधन को मंजूरी दी।

प्रमुख संशोधनः

- **अधकि फीडस्टॉकसः**
 - संशोधनों में से एक यह है कसरकार जैव ईधन के उत्पादन हेतु अधकि फीडस्टॉक की अनुमति देगी।
- **इथेनॉल सम्मशरण लक्ष्यः**
 - केंद्र 2025-26 तक 2030 के बजाय इथेनॉल युक्त 20% पेट्रोल के [इथेनॉल सम्मशरण लक्ष्य](#) के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है।
 - यह [मेक इन इंडिया कार्यक्रम](#) के तहत [वशिश आर्थकि कषेत्रों](#) (एसईजेड)/नरियात उनमुख इकाइयों (ईओयू) में स्थति इकाइयों द्वारा देश में जैव ईधन के उत्पादन को बढ़ावा देगा।
- **NBCC के नए सदस्यः**
 - सरकार ने [राष्ट्रीय जैव ईधन समन्वय समति \(NBCC\)](#) में नए सदस्यों को जोड़ने की अनुमति दी है।
 - NBCC का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतकि गैस मंत्री (पी एंड एनजी) की अध्यक्षता में [समग्र समन्वय, प्रभावी एंड-टू-एंड कार्यान्वयन और जैव ईधन कार्यक्रम की नगरानी करने हेतु कथिा गया था।](#)
 - NBCC में 14 अन्य मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं।
- **जैव ईधन का नरियातः**
 - वशिशिट मामलों में जैव ईधन के नरियात की अनुमति दी जाएगी।

संशोधनों का महत्त्वः

- **मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावाः**
 - प्रस्तावति संशोधनों से [मेक इन इंडिया अभियान](#) का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है जसिसे अधकि-से-अधकि जैव ईधन के उत्पादन से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी आएगी।
- **आत्मनरिभर भारत पहल को बढ़ावाः**
 - चूँकि जैव ईधन के उत्पादन के लयि कच्चे माल के रूप में कई अन्य स्रोतों के उपयोग की अनुमति प्रदान की जा रही है, [यहात्मनरिभर भारत](#) को बढ़ावा देगा और वर्ष 2047 तक भारत के 'ऊर्जा कषेत्र में आत्मनरिभर' बनने के प्रधानमंत्री के दृष्टकिण को गति प्रदान करेगा।
- **रोज़गार सृजनः**
 - साथ ही प्रस्तावति संशोधनों से स्वदेशी प्रौद्योगकियों के वकिस को आकर्षति करने और बढ़ावा मलने की उम्मीद है, जो मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त करेंगे और अधकि रोजगार सृजति करेंगे।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018:

■ **परिचय:**

- “जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018” पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचि की गई थी।
- नीति को 2009 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से प्रख्यापित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अधिक्रमण में अधिसूचि किये गया था।

■ **वर्गीकरण:**

- यह नीति जैव ईंधन को नमिनलखिति प्रकार से वर्गीकृत करती है:
 - "मूल जैव ईंधन" अर्थात् पहली पीढ़ी (1G) के बायोएथेनॉल, बायोडीज़ल एवं "उन्नत जैव ईंधन"।
 - "उन्नत बायोफ्यूल" अर्थात् दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल, म्युनिसिपल सॉलडि वेस्ट (MSW) से बने ड्रॉप-इन फ्यूल।
 - तीसरी पीढ़ी (3 जी) के जैव ईंधन, जैव-CNG आदि प्रत्येक श्रेणी के अंतरगत उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन के विसितार को सक्रम करने के लिये।

■ **वशिषताएँ:**

- इस नीति में गन्ने का रस, शुगर वाली वस्तुओं जैसे- चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुएँ जैसे- कॉर्न, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिये अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूँ, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिये कच्चे माल के दायरे को वसितृत करने का प्रयास किये गया है।
- यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन से पेट्रोल के साथ सम्मशिरण के लिये इथेनॉल के उत्पादन हेतु अधशिष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है।
- उन्नत जैव ईंधन पर ज़ोर देने के साथ यह नीति 2जी इथेनॉल बायो रफाइनरियों के लिये 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए अतरिक्रित कर प्रोत्साहन के अलावा 1G जैव ईंधन की तुलना में उच्च खरीद मूल्य प्रदान करती है।

National Policy on Biofuels 2018

Salient features

<p>An indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel is proposed by 2030.</p>	<p>With a thrust on Advanced Biofuels, the Policy indicates a viability gap funding scheme for 2G ethanol Bio refineries of Rs.5000 crore in 6 years in addition to additional tax incentives, higher purchase price as compared to 1G biofuels.</p>	<p>Categorization of Biofuels into Basic Biofuels - First generation(1G) Bioethanol & biodiesel and "Advanced Biofuels"- Second Generation(2G) ethanol, drop-in fuels, algae based Third Generation(3G) Biofuels.</p>	<p>Increase scope of raw material for ethanol procurement by encouraging Intermediate (B-Molasses), Sugarcane Juice, other Sugar containing materials and damaged as well as surplus food grains.</p>
<p>Develop National Biomass repository by conducting appraisal of biomass across the Country.</p>	<p>Bio diesel production to be encouraged from non edible oilseeds, used cooking oil, short gestation crops and development of supply chain mechanisms.</p>	<p>Thrust on research, development and demonstration in the field of Biofuel feedstock production, advanced conversion technologies from identified feedstock.</p>	<p>Setting up of National Biofuel coordination committee (NBCC) under Ministry of Petroleum & Natural Gas and Working Group on Biofuels.</p>

जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:

■ **इथेनॉल मशिरति पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम:**

- यह प्रदूषण को कम करने, वदिशी मुद्रा के संरक्षण और चीनी उद्योग में मूल्यवर्द्धन के उद्देश्य से इथेनॉल के सम्मशिरण को प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि किसानों के गन्ना मूल्य बकाए का भुगतान किये जा सकें।

■ **प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019 :**

- इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणजियिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक पारस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है।

■ **गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना:**

- यह खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे को उपयोगी खाद, बायोगैस व बायो-सीएनजी में बदलने तथा इस प्रकार गाँवों को साफ रखने व ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।

■ रूपिपज यूजड कुकगि ऑयल (Repurpose Used Cooking Oil):

- इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लॉन्च किया गया था तथा इसका उद्देश्य एक ऐसा पारस्थितिक तंत्र विकसित करना है जो प्रयुक्त कुकगि आयल को बायो-डीज़ल में संग्रह व रूपांतरण करने में सक्षम हो।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीतिके अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये नमिनलखिति में से कसिका उपयोग कच्चे माल के रूप में कथिया जा सकता है? (2020)

1. कसावा
2. कषतगिरस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नमिनलखिति कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2, 5 और 6
- (b) केवल 1, 3, 4 और 6
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 कषतगिरस्त खाद्यान्न जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हैं जैसे- गेहूँ, टूटे चावल आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देती है।
- यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समतिके अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्न की अधशेष मात्रा को इथेनॉल में परिवर्तित करने की भी अनुमति देती है।
- यह नीति इथेनॉल उत्पादन में प्रयोग होने वाले तथा मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त पदार्थ जैसे- गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री- चुकंदर, मीठा चारा, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मकई, कसावा, गेहूँ, टूटे चावल, सड़े हुए आलू के उपयोग की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का वसितार करती है। अतः 1, 2, 5 और 6 सही हैं।

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-policy-on-biofuels>